



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

☎ : 91-542-7165051

E-Mail : assistantregistrar.finance@iitbhu.ac.in

**Office of the Registrar
(Accounts -II)**

**कुलसचिव कार्यालय
(लेखा - II)**

Letter No: IIT(BHU)/Accounts-II/2026-27/

Dated: 29.09.2026

Regarding Submission of Life Certificate

All Pensioners/Family Pensioners
Indian Institute of Technology
(Banaras Hindu University)

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the prescribed format of the Life Certificate and Re-marriage Certificate of Dependent Family Members, with a request to submit the aforesaid certificates to the Accounts-II Section of the Institute, either online or offline.

In this connection, your attention is invited to the fact that, for the continued payment of pension/family pension, every pensioner/family pensioner of the Institute is required to submit a Life Certificate once a year during the month of November. Failure to submit the same may result in the suspension/withholding of pension/family pension.

Further, in the case of a widow/widower receiving family pension, submission of a Re-marriage Certificate is mandatory. In the case of a widow, the certificate is required to be submitted once, whereas in the case of a widower, it is required to be submitted once every six months, in May and November.

It is, therefore, requested that, for the continued payment of pension/family pension, the required certificate(s) may kindly be submitted on or before 30 November 2026 to the Accounts-II Section, either offline or through the DLC (Digital Life Certificate) Jeevan Pramaan App or Jan Seva Kendra.

Further, in the case of family pensioners, the Re-marriage Certificate/Dependent Certificate is required to be submitted offline only.

Encl.: As above

Yours faithfully,

**Assistant Registrar
(Accounts-II)**



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

☎ : 91-542-7165051

E-Mail : assistantregistrar.finance@iitbhu.ac.in

Office of the Registrar
(Accounts -II)

कुलसचिव कार्यालय
(लेखा - II)

पत्रांक: भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/लेखा-II/2026-27/

दिनांक: 29.09.2026

समस्त पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)

विषय: जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,
पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी

कृपया जीवन प्रमाण पत्र एवं आश्रित परिवार सदस्यों के पुनर्विवाह प्रमाणपत्र का प्रारूप इस अनुदेश के साथ संलग्न है कि उपरोक्त प्रमाणपत्रों को संस्थान के लेखा -2 अनुभाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने का कष्ट करें।

इस संबंध में, आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निरंतर भुगतान हेतु संस्थान के प्रत्येक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को वर्ष में एक बार नवम्बर माह में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान निलंबित/रोक दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशन के विधवा/विधुर प्राप्तकर्ता के लिए पुनर्विवाह प्रमाणपत्र जमा किया जाना आवश्यक है। यह विधवा के मामले में एक बार और विधुर के मामले में प्रत्येक छह माह में एक बार मई व नवम्बर में प्रस्तुत किया जाना है।

अतः यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निरंतर भुगतान हेतु अपेक्षित प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों को 30 नवम्बर, 2026 तक या पहले लेखा-2 अनुभाग अथवा DLC (Digital Life Certificate) जीवन प्रमाण एप या जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन, भा.प्रौ.सं. (का.हि.वि.) में जमा करने का कष्ट करें, तथा पारिवारिक पेंशनभोगी हेतु पुनर्विवाह प्रमाण पत्र / आश्रित प्रमाण पत्र ऑफलाइन जमा करना आवश्यक है।

संलग्न: यथोक्त

भवदीया,

सहायक कुलसचिव

(लेखा-II)

प्रसा जुनेजा
29/09/26

Instructions regarding submission of Life Certificate

1. Every pensioner / family pensioner of the Institute is required to submit life certificate once a year in the month of November for continuation of payment of pension/family pension, failing which, the payment of pension/family pension may be suspended/stopped.

2. A pensioner/ family pensioner can report in person with his/her PPO for identification, get his/her life certificate signed by pension disbursing officer of IIT (BHU) and submit it to the Pension Section of IIT (BHU).

3. A pensioner/ family pensioner can also appear in person with his/her PPO for identification and get his/her life certificate signed by any person specified hereunder and send it to the Pension Section of the Institute. In such a case, he/she is exempted from personal appearance at Pension Section of the Institute.

(i) A person not below the rank of Assistant Professor/Group A officer of IIT (BHU);

(ii) A person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure code;

(iii) A Registrar or Sub-Registrar appointed under Indian Registration Act;

(iv) A Gazetted Government servant;

(v) A Class I officer of the Reserve Bank of India, an officer (including Grade-II officer) of the State Bank of India.

4. A Pensioner/Family Pensioner who is residing outside India may produce Life Certificate signed by a Diplomatic Representative of India/ an officer of Public Sector Bank situated in the country of residence which is included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में निर्देश

1. संस्थान के प्रत्येक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान को जारी रखने हेतु प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान निलंबित/बंद किया जा सकता है।
2. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अपनी पहचान के लिए अपने PPO (पेंशन भुगतान आदेश) के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर IIT (BHU) के पेंशन भुगतान अधिकारी से अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित करवा सकता/सकती है तथा उसे IIT (BHU) के पेंशन अनुभाग में जमा कर सकता/सकती है।
3. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अपनी पहचान के लिए अपने PPO के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निम्नलिखित में से किसी अधिकारी/व्यक्ति से अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित करवा सकता/सकती है तथा उसे संस्थान के पेंशन अनुभाग में भेज सकता/सकती है। ऐसी स्थिति में उसे संस्थान के पेंशन अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाएगी:
 - (i) IIT (BHU) का सहायक प्रोफेसर/समूह 'क' अधिकारी या उससे उच्च पद का अधिकारी;
 - (ii) दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;
 - (iii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम (Indian Registration Act) के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार;
 - (iv) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी;
 - (v) भारतीय रिज़र्व बैंक का कक्षा-I अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी (ग्रेड-II अधिकारी सहित)।
4. भारत से बाहर निवास करने वाला पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी भारत के राजनयिक प्रतिनिधि (Diplomatic Representative) अथवा अपने निवास वाले देश में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता/सकती है, बशर्ते कि वह बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो।

**INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(BANARAS HINDU UNIVERSITY) VARANASI**

Form No. 15

LIFE CERTIFICATE

(To be submitted by Pensioner/Family Pensioner of the Institute once a year in November)

Certified that I have seen the pensioner/family pensioner Dr./Shri/Smt./Ms.
holder of Pension Payment Order No. IIT (BHU)/BHU/R/F/..... and that he/she is alive on
this date.

Signature/Thumb impression of pensioner/family pensioner

Place :

Date :

Residential Address:

Mobile No. (if any):

E-mail Address (if any):

(Signature & Date with Seal of authorised officer)

Name

Designation.....

CERTIFICATE OF RE-MARRIAGE

I hereby declare that I have not got re-married and in case if I do, I undertake to report such
any event promptly to the Pension Section of the IIT (BHU).

(Applicable only for widow/widower recipient of family pension and is to be furnished only once in
case of widow and once every six months in May and November in case of widower)

Signature/Thumb impression of widow/widower family pensioner

PPO No. IIT (BHU)/BHU/F.....

I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

Witness/Attested by

Signature.....

Name

Deptt.....

Emp. No.....

SELF DECLARATION OF DEPENDENT FAMILY PENSIONERS

I hereby declare that till date I have no source of income (except this pension) and I have not
got any employment. I also declare that I have not got married. *I have not attained the age of 25
years. In case, I get any source of income, get employed and/or get married, I undertake that I shall
inform about the same immediately to the Pension Section of IIT (BHU).

Signature/Thumb impression of family pensioner

PPO No. IIT (BHU)/BHU/F.....

I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

Witness/Attested by

Signature.....

Name.....

Deptt.....

Emp. No.....

*Applicable only for male recipient of family pension.

जीवन प्रमाण-पत्र

(संस्थान के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा वर्ष में एक बार नवम्बर माह में प्रस्तुत करने हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन अदायगी आदेश संख्या भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/का.हि.वि./आर/एफ.....
..... धारक पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी डॉ/श्री/श्रीमती/कु.....को
मैंने देखा है और वह इस दिनांक को जीवित हैं।

पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

स्थान :

दिनांक :

पता (निवास) :

मोबाईल सं. (यदि कोई) :

ईमेल (यदि कोई) :

हस्ताक्षर, दिनांक एवं मोहर सहित
(प्राधिकृत अधिकारी द्वारा)

नाम

पद

पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है, और यदि मैं करता/करती हूँ तो मैं यह उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ कि मैं यह सूचना तत्काल पेंशन अनुभाग, भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) को दूंगा/दूंगी।

(केवल विधुर/विधवा पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए लागू और विधवा पेंशनभोगी के लिए केवल एक बार एवं विधुर पेंशनभोगी के लिए छः माह में एक बार मई एवं नवम्बर माह में भरे जाने हेतु)

विधुर/विधवा पारिवारिक पेंशनभोगी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

पे.अ.आ.सं.: आई.आई.टी.(बी.एच.यू.)/बी.एच.यू./एफ.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त कथन सही है, द्वारा :

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम

विभाग

कर्मचारी संख्या.....

आश्रित पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा स्वघोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी आय का कोई स्रोत नहीं है (इस पेंशन के अतिरिक्त) और न ही मुझे अभी तक कोई रोजगार मिला है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। *मेरी आयु 25 वर्ष से ऊपर नहीं है। यदि मुझे आय का कोई स्रोत प्राप्त होता है, रोजगार प्राप्त होता है अथवा/और मेरा विवाह होता है तो मैं यह उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ कि मैं इसकी सूचना तत्काल पेंशन अनुभाग, भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) को दूंगा/दूंगी।

पारिवारिक पेंशनभोगी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

पे.अ.आ.सं.: आई.आई.टी.(बी.एच.यू.)/बी.एच.यू./एफ.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त कथन सही है, द्वारा :

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम

विभाग

कर्मचारी संख्या

*केवल पुरुष पारिवारिक पेंशनभोगी हेतु।



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

☎ : 91-542-7165051

E-Mail : assistantregistrar.finance@iitbhu.ac.in

Office of the Registrar
(Accounts -II)

कुलसचिव कार्यालय
(लेखा - II)

INSTRUCTION FOR USING

Digital Life Certificate (DLC) for Pensioners by using Aadhaar based biometric identification at Jeevan Pramaan platform

The IIT (BHU) with the technical support from NIC has on-boarded Jeevan Pramaan platform. Pensioners/Family Pensioners of IIT (BHU) can now generate Digital Life Certificate (DLC) by using Aadhaar based biometric identification. They are not required to present themselves in front of the authorized officers for authentication in November each year or as notified by GOI from time to time.

2. The pensioners/family pensioners can also generate Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan) from home by using their computer and android based smart phone/tablet having internet connection and supported biometric device (available in Online Market).

3. The pensioners/family pensioners can also approach any branch of SBI/Common Service Centre (CSC) where Aadhaar is updated for Digital Life Certificate. If it is not possible to access DLC, please submit hard copy of Life Certificate like before in Pension Section, IIT (BHU).

4. For DLC, Pensioners and Family Pensioners need to know his/her Aadhaar No, PPO No (Key No for IIT (BHU)), Bank account No and mobile phone no etc. before registration. If your key no is less than 4 digit please add zero for the missing digit. For example if your key no is 1 convert it 0001, if 10 then 0010, if 100 then 0100. Pensioners/Family pensioner have to register once and later they can generate Jeevan Pramaan using Biometric authentication.

5. Pensioners/Family pensioner can generate Jeevan Pramaan form abroad also by downloading the Jeevan Pramaan software and attaching biometric device with it.

Process of registration is given:

Download the Jeevan Pramaan software from <https://jeevanpramaan.gov.in/package/download> in your computer and mobile.

Attach the prescribed biometric device with computer/mobile and activate the device software and RD service.

Fill your Aadhaar No, mobile no and email id. An OTP will be sent to your mobile no. Authenticate by filling the OTP. Now you are ready for Jeevan Pramaan (DLC).

After login through your Aadhaar id, fill up necessary information such as:

Name – Found in PPO

Type of pension – Service/Family

Sanctioning Authority – IIT (BHU)

Disbursing Authority – IIT (BHU)

Agency PPO No – Your Key No (should be more than 4 digits. In case of missing figure please add Zero)

Bank Account No – Where monthly pension is sent

Re-employed – Yes/No

Re-marriage – Yes/No

Then authenticate Jeevan Pramaan by your fingerprint.

6. After successful submission of digital life certificate, pensioner will get an SMS on his/her mobile giving the transaction id. Pensioner can download computer generated life certificate from <https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login> using this transaction id for their records.

7. Digital Life Certificate is valid under IT Act.

For further details kindly log on to Jeevan Pramaan site:

<https://jeevanpramaan.gov.in/app/faq>

<https://jeevanpramaan.gov.in/newassets/docs/Procedures%20for%20DLC%20Ver%201.0.pdf>

<https://jeevanpramaan.gov.in/newassets/file/Jeevan%20Pramaan%20Client%20Installation%203.5.pdf>

For online video on Jeevan Pramaan please log on to:

<https://www.youtube.com/watch?v=SJ7IH7j34pQ>



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

☎ : 91-542-7165051

E-Mail : assistantregistrar.finance@iitbhu.ac.in

Office of the Registrar
(Accounts -II)

कुलसचिव कार्यालय
(लेखा - II)

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) के उपयोग के संबंध में निर्देश

आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) प्लेटफॉर्म का उपयोग

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) ने NIC के तकनीकी सहयोग से जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है। IIT (BHU) के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अब आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) बना सकते हैं। उन्हें प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अवधि में प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी इंटरनेट कनेक्शन वाले अपने कंप्यूटर अथवा एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन/टैबलेट तथा समर्थित बायोमेट्रिक डिवाइस (जो ऑनलाइन बाजार में उपलब्ध है) का उपयोग करके घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण) बना सकते हैं।

3. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की किसी शाखा/सामान्य सेवा केंद्र (CSC) से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ आधार अपडेटेड हो। यदि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाना संभव न हो, तो पूर्व की भाँति जीवन प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी लेखा-2 अनुभाग, IIT (BHU) में जमा की जा सकती है।

4. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पंजीकरण से पूर्व अपना आधार नंबर, PPO नंबर (IIT (BHU) के लिए Key No.), बैंक खाता नंबर तथा मोबाइल नंबर आदि अपने पास रखना आवश्यक है। यदि आपका Key No. 4 अंकों से कम है, तो छूटे हुए अंकों के स्थान पर शून्य (0) जोड़ें। उदाहरण के लिए: यदि आपका Key No. 1 है, तो इसे 0001 करें। यदि Key No. 10 है, तो इसे 0010 करें। यदि Key No. 100 है, तो इसे 0100 करें। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को केवल एक बार पंजीकरण करना होगा। इसके बाद वे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) बना सकते हैं।

5. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी विदेश से भी जीवन प्रमाण बना सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

* अपने कंप्यूटर और मोबाइल में जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर निम्न लिंक से डाउनलोड करें:
<https://jeevanpramaan.gov.in/package/download>

* निर्धारित बायोमेट्रिक डिवाइस को कंप्यूटर/मोबाइल से कनेक्ट करें तथा डिवाइस सॉफ्टवेयर और RD Service को सक्रिय करें।

* अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भरें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP भरकर प्रमाणीकरण करें। अब आप जीवन प्रमाण (DLC) के लिए तैयार हैं।

* अपने आधार आईडी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद निम्नलिखित आवश्यक जानकारी भरें:

नाम (Name) – PPO में दर्ज नाम

पेंशन का प्रकार (Type of Pension) – सेवा/पारिवारिक

स्वीकृति प्राधिकारी (Sanctioning Authority) – IIT (BHU)

वितरण प्राधिकारी (Disbursing Authority) – IIT (BHU)

एजेंसी PPO नंबर (Agency PPO No.) – आपका Key No. (यह 4 अंकों से अधिक होना चाहिए। यदि कोई अंक कम है तो उसके स्थान पर शून्य जोड़ें।)

बैंक खाता नंबर (Bank Account No.) – जिस खाते में मासिक पेंशन भेजी जाती है

पुनर्नियोजित (Re-employed) – हाँ/नहीं

पुनर्विवाह (Re-marriage) – हाँ/नहीं

इसके बाद अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से जीवन प्रमाण का प्रमाणीकरण करें।

6. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा होने के बाद पेंशनभोगी के मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा, जिसमें Transaction ID दी जाएगी। पेंशनभोगी इस Transaction ID का उपयोग करके अपने रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर द्वारा तैयार जीवन प्रमाण पत्र निम्न लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं: <https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login>

7. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आईटी अधिनियम (IT Act) के अंतर्गत वैध है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाएँ:

<https://jeevanpramaan.gov.in/app/faq>

<https://jeevanpramaan.gov.in/newassets/docs/Procedures%20for%20DLC%20Ver%201.0.pdf>

<https://jeevanpramaan.gov.in/newassets/file/Jeevan%20Pramaan%20Client%20Installation%203.5.pdf>

जीवन प्रमाण के संबंध में ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए कृपया निम्न लिंक पर जाएँ:

<https://www.youtube.com/watch?v=SJ7IH7j34pQ>